कार्यालयः– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ।

विज्ञप्ति।

माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में एवं उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली–2021 में दिये गये निर्देशों अनुक्रम में 01 मध्यस्थ अधिवक्ता का चयन किये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित वांछित विवरण निम्नवत् है :–

1–ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो,

2–सेवानिवृत्त जिला एंव सत्र न्यायायाधीश/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,

3–ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने–अपने क्षेत्रो मे कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधिक के क्षेत्र में सुपरिचित हों,

आवश्यक निर्देशः–

1–चयनित आवेदक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली–2021 के अधीन होगी।

2–चयनित आवेदक की नियुक्ति मध्यस्थ पैनल बनाये जाने की दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगी।

3–आवेदको एक उपक्रम प्रस्तुत कराना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

4–आवेदक को न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामलें मे दण्डित न किया गया हों।

5–आवेदक आवेदन पत्र के साथ एक स्वपतायुक्त लिफाफा पंजीकृत डाक हेतु निर्धारत टिकट लगाकर प्रस्तुत करेंगें।

6–आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखो व चरित्र प्रमाण–पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेखो की स्वप्रमाणित छांयाप्रतिया एंव पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ, आधार कार्ड की छांयाप्रति, स्थायी निवास की सत्यप्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

उपरोक्त अर्हता रखने इच्छुक अभ्यर्थी मध्यस्थता पैनल में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन–पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के कार्यालय में दिनांक 28.01.2025 की सांय 05:00 बजें तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर/पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त करा सकते है। उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद न्यायालय मेरठ की वेबसाइट **https://districts.ecourts.gov.in/meerut** पर जाकर **Recruitment** ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड़ किया जा सकता है।

संलग्नः यथोक्त।

दिनांकः 13.01.2025

भवदीय,

(उद्भववीर सिंह)

अपर जिला न्यायाधीश/सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ।

अनुसूची–एक
मध्यस्थता और सुलह केन्द्र
(जिला मेरठ)
(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलिखत किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम : ....

2. पिता का नाम : ....

3. पता : ....

(क) कार्यालय : ....

(ख) निवास : ....

स्व0 प्रमाणित फोटोग्राफ

4. दूरभाष संख्या : ....

5. मोबाईल संख्या : ....

(क) कार्यालय : ....

(ख) निवास : ....

6. ई–मेल आई0डी0 : ....

7. शैक्षणिक अर्हताएं : ....

8. व्यावसायिक अर्हताए और अनुभव : ....

9. तकनीकी अनुभव यदि कोई हो : ....

10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव यदि कोई हो : ....

11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक : ....

(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)

12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है ? ....

13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है ? ....

14. क्या आपको दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है या विकृतचित्त को होना घोषित किया गया है?

15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां पारम्भ की गयी है, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्ड़ित किया गया है?

मैं..एतदद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं...................................न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रकिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ । यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और कुछ भी छिपाया नही गया है।

पूर्ण हस्ताक्षरः
दिनांकः